

23.12.20

उपनिवेश अधिकारी
राज्यपालाठी

पत्रावली पत्रा/वकील पत्रकार एवं पत्रकार
उपस्थित ही वरत विडात अधिवक्ता उभय
पत्र की हुना/ पत्रकारों की भी सुना गया
प्रतिवादी नं. 1 उसके साथ उभय पत्रकार
लीकार होता है, तथा बेनी गड्ड उभय
की वारियां को देन की सहमति व्यक्त
होता है/ पत्रकारों के समालाप कवाम
तथा पत्रकारों की पहचान उनके अधिवक्ता
गण देन होवाही गड्ड/ वारत आदेश
दि 08.04.20 को पेश हो।

पुस्तकालय
कानि
अधिकारी
राज्यपालाठी


उपनिवेश अधिकारी
राज्यपालाठी

पत्रावली पत्रा/ वकील पत्रकार उपो ही
प्रकार का अकौशल किया गया।
वादीया डात वादपत्र के कथन, वकील लक्ष्य
वाचिहत अनुलोष, प्रतिवादी डात प्रमुक्त
इशवाधिया पत्राव एवं वारियां डात


उपनिवेश अधिकारी
राज्यपालाठी

(समाप्त)

प्रस्तुत आवेदनोदि पर सम्यक विचार किया।
 वहस पिछान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी। वहस
 पर मनन किया। दरम्यान वहस वारियां एवं
 जिलावादी दोनों उपस्थित हुये। जिलावादी ने
 वारियां को साबिक खसरा नम्बर ५४ तथा
 ६॥११ में से अपना ३११० हिस्सा बेचान
 जाना तथा उस क्षमि को जिलावादी के
 खाले से हटाया जाऊ वारियां के खाले
 में दर्ज कवाना स्वीकार किया। बाद वारियां
 स्वीकार करने में जिलावादी को आपत्ति
 नहीं है।

वादियां द्वारा स्वयं का शपथ-पत्र जर्ज-पव-१
 नरन जमाबंदी ग्राम अलौद सं. २०१३-१६
 वाला नं. ३३४ जर्ज-१, नरन कर सिता
 २००५-२५ ग्राम अलौद जर्ज-२, असल
 विद्युम पत्र द्वारा जिलावादी एवं उसकी मां
 वहक वादियां पु. सं. १ जिल्द ३, खस सं. १५,
 सं. सं. ५१३ रि. २१.६.०५ जर्ज-३, नरन नामा
 ग्राम अलौद नम्बर ६५ रि. ५.४.०५ जर्ज-४
 नरन जमाबंदी ग्राम अलौद २००९-२०२१
 वाला नं. ५२-५३ जर्ज-५, नरन नामान्त
 काला ग्राम अलौद नं. $\frac{७०५}{१५}$ रि. ६.१०.०७
 जर्ज-६, नरन जमाबंदी ग्राम अलौद
 सं. २०६९-७२ वाला नं. ५० जर्ज-७
 नरन नामान्त काला अलौद नं. ३९० रि.
 २५.५.१६ जर्ज-८,


 (अध्या-)

क्र. सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम जारी में जारी
	<p>उत्प्लुत किये गये। उदर्य-3 से उभाठाल है, कि वारियां डाटा छतिवारी से ग्राम अलौद के खसरा नं- 54 फुवा 9 बीघा 16 बिघा में से 3/10 हिस्सा अरिष रजिस्टर्ड खस-नामा क्रम किया गया था। उदर्य-4 से उफ्ता अरिष वारियां के वारो दर्ज करने का आदेश हुआ। उदर्य-5 से एफर है, कि उदर्य-2 के अनुसार साबिक नं- 54 के हाठ नम्बर 56 के हिस्सा 3/10 पर वारियां का नाम दर्ज किया गया। उदर्य-6 में भी वादगत अरिष पर वारियां का नाम दर्ज है।</p> <p>उदर्य-7 में विभाजन के उपलान्त वादगत अरिष हाठ खसरा नम्बर 56 ऊठ खसरा 1.58 हे० में से 3/10 हिस्सा अर्थात् 0.47 हे० अरिष वारियां के नाम दर्ज करने की बजाय छतिवारी के नाम 0.54 हे० अरिष दर्ज कर की जबकि छतिवारी के हिस्से में वारियां का खसरा 0.47 हे० की दर्ज कर दिया। हम्ब उदर्य-1 वादगत उफ्ता खसरा नम्बर हाठ खसरा नम्बर 56 का खसरा अरिष अरिष छतिवारी 1 के नाम</p>	<p>(545)</p>

उपखण्ड अधिकारी
शामशांजमण्डी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>दर्ज है। छतिवारी को उपरके डाटा बंकी गई अरिष वारियां के नाम दर्ज करने पर आपत्ति नहीं थी। अतः सहमति स्वकप वाद वारियां खीका किये जाकर सब आदेशा दिये जाते हैं, कि ग्राम अलौद की अरिष खसरा नम्बर 56 फुवा 0.54 हेक्टर में से 0.47 हेक्टर अरिष छतिवारी शंकर के वारो से हराई जाकर वारियां के नाम दर्ज की जावे। तदनुसार डिफ्टी मुलिब हो।</p> <p>पभावली फैसल मुमाए होकर बाद तामील तक्रमील शखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 8-1-2021 को में डाटा लिखवाया जाकर विद्वन्त न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p>(इशाल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी शामशांजमण्डी</p>

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे इतबार

(अंश 20, कल 6-7, कलता डी.सी.)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अवकाश उपावोड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डो
 व इज्जत देवाल दान (I.A.S.)

2020
00275

रामचंडीबाई
 दावा बाबत 88-89-188 R.T. Act-1955
 169 मन् 2020

मुकद्दमा नं. मुस देवाल दान I.A.S.

यह मुकद्दमा आज वांछे इतिहास कतई रु-रु-रु मिनजानिष मुद्दई व श्री पद्मानंद भलीर एस.
 बहाजरी श्री श्रीवात्म भलीर एस. मिनजानिष मुदायलाह पेज होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

सहमति स्वरूप वाद वादिया स्वीकार किया जाका यह आदेश रिष
 जाते हैं, कि ग्राम अलोड श्री अमि (व० नं० 56) कबा 0.54 हेक्टर में
 से 0.5 हेक्टर अमि (उत्तियादी) शीकर के लाल से हराई जाका वारिया
 के नाम दर्ज की जाव।

बीज मुबालग बाबत
 खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व सरह फीसदी तालाना आज का तारख
 से तारीख बसूलयाबी तक को अदा करे।

बसंत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 01 2021
 को जारी की गई।
 महर उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डो

मुद्दई	रकबा	पं.	मुदायलाह	रकबा	पं.
स्टाम्प अर्जी का		स्टाम्प बकालतनामा	
स्टाम्प बकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प बजट सभूत		महंतताना वकील पर	
महंतताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुकमनामा	
बाबत इजराय हुकमनामा		मुतफारिक	
मुतफारिक				

नोट:- इस खर्च के काम पर कुल खर्चा हर दो फरकित का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो वा नहीं दर्ज करना
 चाहिये। **वाद वमय पसना अपना-अपना वरम कती**

प. नं. जी. 139-2006-1; 00,000 पार्श

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डो